जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली कायोलय पत्र स0 / मान्यता / /2015-16 दिनॉक-प्रबन्धक. दवां इव्यूनेश्रनस स्कूल, प्रेर पिंडत, बेह्यंकवां, लाव्यंत्र, रायबरेली।

विषय:

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 फें उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाणपत्र।

आपके तारीख.1.9.2015 के आवेदन और इस सुम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं दिना हेण्य निर्देश स्थाप विद्युक्तका, व्याख्यस्मित्रायबरेली की तारीख2015-16 से तारीख2017-19 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्राप्त कक्षा है....तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान (अंग्रेजी माह्यम) करने की संसूचना देता हूं।

- उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा-8 के पश्चात मान्यता / संबन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबच्च-1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (जपबन्ध-2) के उपबन्धी का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के...25....प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 - पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।

V. FATEHPUR सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

प्राचार्य / Principal— केन्द्रीय विद्यालय ७ Kendriya Vidyalay® उन्नाव / Unnag

विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेंगा और यह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः (1)—प्रवेश दिये गयं किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने

तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं

किया जायेगा।

क्मशः.....2 PRINCIPAL

DEWAINTERNATIONAL SCHOOL

OF Marish Kuman Liveary

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL

DANAGER
Dawa International School Manish Juman Missey

Managar

International School

- (2)—िकसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- (3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्डपरीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बाल को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
- (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाल विद्यार्थियों को प्रयेश दिया जाना।
- (6)—अध्यापको की भर्ती अधिनियम की «धाराँ—23(1) के अधीन या यशा अधिकिया न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिन्ने पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है,05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायं अर्जित करेंगे।
- (7)—अध्यापक अधिनियम की धारा—24(1) के अधीन विनिविष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (8)—अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगें
- विद्यालय समुचित आधिकारी द्वारा अधिकथित पाठचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
 - विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाय रखेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानुसार अन्तिम निरीक्षण के समय की रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार है: विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 31419 and bo कुल निर्मित क्षेत्र 35.508 and this कीडा स्थल का क्षेत्रफल कक्षाओं की संख्यां प्राध्यापक—सहकार्यालय—सह भण्डारगाह की लिये कक्ष 🕰 बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक गौचालय 🔼 🚨 अला – इस्त्रण पेयजल सुविधा मिड डे मील पकाने के लिये रसोई अध्यापन पठन सामग्री /कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता ... बाधारहित पहेंच

विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं सलायी जायेगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और 10-कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है। कमश......3

era International School

and / Principal केन्द्रीय विद्यालय Condriva Vidyalaya

8-119 / Unnao

DEWAINTERNATIONAL SCHOOL PRINCIPAL Manish Cumar liwary VALLE LIGHATIONAL SCHOOL. Dewa International School

anish Keeman Huseri Manager

विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी सीसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गरित किसी लोक न्यास द्वारा वलाया जा रहा है।

स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के

लाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चार्टि और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमाँ व अनुसार हैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली को भेजी जानी चाहिये।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक //6...है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख कर

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिद्या निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक उपबन्ध के अनुसार अन्यं कोई शर्त।

जिला बेसिकी शिक्षा-अधिकारी

2015-16 प्रतिलिपि निस्तिलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) षष्ठ मण्डल लखनऊ।

2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद रायबरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

रायबरेली

PRINCIPAL J.N.V., FATEHPUR

PRINCIPAL J.N.V., FATEHPUR

भाषायं / Principa केन्द्रीय विद्यालय Kendriya Vidyala Malla / Flancisc

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL Manish Kuma Tiwani MANAGER

PRINCIPAL

DEWA INTERNATIONAL SCHOOL

Dewa International School Principal

Dewa International School Manish Kuman I want